...थ सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक)

इटावा जिला कोटा

...नं :- 01/2020 तारीख दायरा :-09.01.2020 तारीख फैसला :- 12/7/21

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. पिंकी बाई पत्नि रामकल्याण उम्र 37 वर्ष जाति काछी निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. अमन पुत्र श्री रामकल्याण उम्र 13 वर्ष नाबालिक जर्ये वली माता पिंकी बाई
3. मोहित पुत्र श्री रामकल्याण उम्र 10 वर्ष नाबालिक जर्ये वली माता पिंकी बाई जाति काछी निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– वादी

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र श्री घांसीलाल जाति काछी निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा ,88,89,188 आर0 टी0एक्ट

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम शहनावदा पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में आराजी खसरा न0 49 रकबा 2.36 है0, खसरा न0 77 रकबा 2.18 है0, खसरा न0 82 रकबा 1.44 है0 , खसरा न0 83 रकबा 0.46 है0 कुल 4 किता कुल रकबा 6.44 है0 कृषि भूमियाँ स्थित हैं, जिनको आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि का खातेदार प्रतिवादी कम 1 है, उक्त कृषि भूमियां पैत्रिक सम्पति है, वादी1 प्रतिकम 1 की पत्नि है। तथा वादीगण 1,2 प्रतिवादी कम 1 के नाबालिक पुत्र है। जिसमें विवादित भूमि में वादीगण का 1 ता 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। और मौके पर भी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 अपने 1/4, 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह कि वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 1 मौके पर 1/4, 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के मध्य पारिवारिक विवाद चलते रहते है, आये दिन झगड़ा फसाद होते रहते है। प्रतिवादी कम 1 वादीगण को धमकी देता है कि मै मेरे खातेदारी की कृषि भूमि को बैचान कर दुंगा। जबकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। वादीकम 1 के 2 नाबालिक बच्चे है। जिसमें से एक बच्चा मुक बधिर हैं। इस स्थिति में यदि प्रतिवादी कम 1 विवादित भूमि को बैच देता है तो वादी कम 1 के नाबालिक बच्चे बैघर हो जायेंगे। इसलिए वादीगण बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 के साथ वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है।

4. यह कि प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 17.11.2019 को सरेआम धमकी दी कि मैं विवादित भूमि को बैचान करके रहुंगा। और तुम आईन्दा खैत पर मत जाना। और अब फसल को भी मैं ही

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

काटूंगा। इसलिए वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व राजस्व रिकार्ड में मौके की यथास्थिति की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 17.11.2019 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा विवादित भूमि को रहन, बैचान करने व कब्जे काश्त में धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

6. यह कि प्रतिवादी कम 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि व लेण्ड होल्डर जिसके विरूद्व वाद लाने हैतु 80 सीपीसी के मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं, लेकिन वाद आवश्यक प्रवृति का है इसलिए 80(2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति प्रार्थना पत्र पृथक से सलंग्न है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिकी पारित की जावें कि वाके ग्राम शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में स्थित कृषि आराजी खसरा न0 49 रकबा 2.36 है0, खसरा न0 77 रकबा 2.18 है0, खसरा न0 82 रकबा 1.44 है0 , खसरा न0 83 रकबा 0.46 है0 कुल 4 किता कुल रकबा 6.44 है0 कृषि भूमि में वादीगण को 1/4, 1/4 अर्थात 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी कम 1, 1/4, 1/4 हिस्से का खाते दार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह कि प्रतिवादी कम 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादीगण के 3/4 हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। और न ही विवादित भूमि को रहन, बैचान आदि से खुर्द–बुर्द नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वंय करे, ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवायें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण को जारी समन्न बाद तामिल प्राप्त हुए शामिल फायल किये गये। प्रकरण मे दिनांक 8.7.2021 को प्रार्थना पत्र वास्ते शीध्र सुनवाई प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण में लोक अदालत की भावनानुसार राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण की शीध्र सुनवाई की जावे।

वादीगण के प्रार्थना पत्र वास्तें शीध्र सुनवाई पर पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन मुताबिक राजीनामा वाद निस्तारण किया जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एव राजीनामा का अवलोकन किया गया । मुताबिक राजस्व रेकार्ड विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 की पैतिक सम्पति है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित कृषि आराजी ,खसरा न. 49 रकबा 2.36 है0 ख.न. 77 रकबा 2.18 है0 ख.न. 82 रकबा 1.44 है0 ख.न. 83 रकबा 0.46 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.44 है0 कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को पृथक पृथक से 1/4, 1/4 1/4 1/4 हिस्सें का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि पर रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/7/21 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) इटावा

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा

न. :- 01/2020 तारीख दायरा :-09.01.2020 तारीख फैसला :- 12/7/21

पीठासीन अधिकारी- श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. पिंकी बाई पत्नि रामकल्याण उम्र 37 वर्ष जाति काछी निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. अमन पुत्र श्री रामकल्याण उम्र 13 वर्ष नाबालिक जर्ये वली माता पिंकी बाई
3. मोहित पुत्र श्री रामकल्याण उम्र 10 वर्ष नाबालिक जर्ये वली माता पिंकी बाई जाति काछी निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– वादी

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र श्री घांसीलाल जाति काछी निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण –
श्री गिरिराज कुशवाह
प्रतिवादीगण

श्री जगदीश प्रसाद मीना, वकील

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू श्री गिरिराज कुशवाह मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित कृषि आराजी ,खसरा न. 49 रकबा 2.36 है0 ख.न. 77 रकबा 2.18 है0 ख.न. 82 रकबा 1.44 है0 ख.न. 83 रकबा 0.46 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.44 है0 कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को पृथक पृथक से 1/4, 1/4, 1/4,1./4 हिस्सें का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि पर रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) इटावा
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner